न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

(प्रथम लिंक अधिकारी)

2026-33RAAbarmer2026-62RTA225 Badalkhan Vs Kasam Khan etc

बादलखान पुत्र बादरखां जाति मुसलमान, निवसी डांगरी, तहसील फतेहगढ, जिला जैसलमेर।

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

1. कासम खान पुत्र रहमान खान
2. खेरदीनखा पुत्र चनेसरखां
3. अमीरखा पुत्र रहमानखान
   जातियान मुसलमान, निवासी डांगरी, तहसील फतेहगढ़, जिला जैसलमेर।
4. श्रीमान शाखा प्रबन्धक बैंक आफ बडोदा, शाखा देवीकोट।
5. श्रीमान तहसीलदार फतेहगढ, जिला जैसलमेर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 09 सितंबर 2025 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 81/2025 अनवान कासमखान बनाम बादलखां इत्यादि

उपस्थित–
श्री सुनील के. मेराजा, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री एल.डी. खत्री, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन

नि र्ण य

दिनांक : 27 मई 2026

अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 81/2025 अनवान कासमखान बनाम बादलखां इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 09 सितंबर 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 14 जनवरी 2026 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट की ओर से अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खसरा नंबर 104 रकबा 9.1174 हैक्टेयर ग्राम लक्ष्मणसर तहसील फतेहगढ में आवागमन हेतु अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 108/397, रेस्पोडेंट संख्या दो व तीन की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 108 एवं 105 में से रास्ता चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र तलब अप्रार्थी/अपीलांट को जरिये सम्मन तलब किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 09 सितंबर 2025 के जरिये रेस्पोंडेंट संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उसे सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना पत्रावली पर आये दस्तावेजात एवं मौके की अनदेखी करते हुए विधि के स्थापित निमयों, प्राकृतिक न्याय एवं साम्या के स्थापित सिद्धान्तो, के प्रतिकूल जाकर आलोच्य आदेश पारित किया गया है। प्रार्थी/उतरदाता संख्या 1 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि मौजा लक्ष्मणसर, पटवार हल्का डागरी, तहसील फतेहगढ में अवस्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 104 में से ग्रेवल सडक तक आने–जाने हेतु अपीलाण्ट के खेत खसरा नम्बर 108/397 सहित उतरदाता संख्या 2 व 3 के खसरा नम्बर 108 व 105 में से रास्ते की मांग की गई, जबकि विधि अनुसार किसी भी खातेदार के खेत में से आने जाने हेतु कोई विकल्प होने पर नवीन रास्ता नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थी/उतरदाता संख्या 1 कासमखान के खेत खसरा नम्बर 104 में उतरी सेढे पर 30–40 वर्षो से लगातार निर्बाध रूप से रास्ता चल रहा है। उक्त ग्रेवल सड़क डांगरी से देवीकोट जाने वाली डामर सड़क से निकलकर मुस्लिम मदरसा जो कि खसरा नम्बर 105 व 106 के पश्चिमी सेढे पर अवस्थित है, तक जाता है एवं उक्त मदरसे से आगे उक्त ग्रेवल सड़क प्रार्थी के खसरा नम्बर 104 के पश्चिमी सेढे से होते हुए आगे अन्य पडोसी खातेदारो की भूमि की और जाती है। इस प्रकार उक्त ग्रेवल सडक से होकर ही प्रार्थी पिछले 30–40 वर्षो से अपने खेत खसरा नम्बर 104 में आवागमन करता आ रहा है। प्रार्थी/उतरदाता ने उक्त तथ्यो को छुपाकर अपने खेत के पश्चिम सेढे पर चल रहे ग्रेवल सडक से हटकर अपने खेत खसरा नम्बर 104 के पूर्वी सेढे पर अपीलाण्ट सहित उतरदाता संख्या 2 व 3 के खेत खसरा नम्बर 108/397, 108 व 105 में से नवीन रास्ते की मांग की है जो न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो के सम्बन्ध में कोई निष्पक्ष मौका रिपोर्ट तलब किये बिना अपीलाण्ट को कोई सूचना एवं सूनवाई का अवसर दिये बिना ही आलौच्य आदेश पारित किया है जो वास्तविक तथ्यो सहित प्राकृतिक न्याय एवं साम्या के सिद्धान्तो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा सी.पी.सी. में निहित तामिल प्रक्रिया के आदेश 5 के प्रावधानो की अनदेखी करते हुए आलौच्य आदेश पारित किये जाने से अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की समय पर जानकारी नहीं हो सकी। हाल ही में हल्का पटवारी डांगरी ने अपीलाण्ट को जानकारी दी कि उसके खेत में रास्ता निकाला गया है, इसलिए रास्ता खोलना है। तब अपीलाण्ट ने इस सम्बन्ध में जानकारी ली तो अपीलाण्ट को ज्ञात हुआ कि प्रार्थी/उतरदाता संख्या 1 ने एकपक्षीय रूप से अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में से रास्ते का आदेश करवाया है

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जिस पर अपीलाण्ट ने दिनांक 08.01.2026 को आलौच्य आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया, जिस पर अपीलाण्ट को दिनांक 12.01.2026 को आलोच्य आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई। अपीलाण्ट ने सम्यक सतकर्ता एवं सद्भावना से बाद जानकारी अन्दर म्याद अपील पेश की है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09 सितंबर 2025 को खारिज फरमाया जावे एवं विकल्प में मौके पर चल रहे रास्ते को कटाणी रास्ता घोषित किये जाने हेतु मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक से तीन ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता है, जिसकी ताईद विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट से होती है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मन की सम्यक तामील करवाये जाने के बावजूद भी वह विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। विचारण न्यायालय द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर धारा 251–ए की मंशाअनुरूप विधिसम्मत आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्यार बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है, विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सिविल प्रक्रिया संहिता में निहित प्रावधानोंनुसार सम्मनों की तामील करवाये बिना उसकी अनुपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की समय पर जानकारी नहीं होना लाजमी है। लिहाजा न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर अपीलांट की ओर से प्रस्तुत नजरी नक्शे एवं उसके कथनानुसार रेस्पोडेंट संख्या के खेत खसरा नम्बर 104 में आवागमन हेतु उसके खेत की उतरी माठ के सहारे–सहारे रास्ता बताया गया है जो खसरा नंबर 105 में अवस्थित मुस्लिम मदरसा के पास से होता हुआ खसरा नम्बर 105 व 106 के पश्चिमी सेढे होते हुए आगे मुख्य सड़क तक जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त रास्ते के विकल्प की जांच किये बिना तथा मौके पर उपलब्ध रास्ते के सभी विकल्पों की वस्तुस्थिति रेकर्ड पर लिये बिना अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानो एवं धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 81/2025 अनवान कासमखान बनाम बादलखां इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 09 सितंबर 2025 निरस्त किया जाता है तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर उपलब्ध रास्ते के सभी विकल्पों की जांच कर उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का दो माह की अवधि में विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर